प्रेस नोट जनपद रामपुर दिनांक 08.11.2020

डस्टर कार में अवैध शराब तैयार करते हुए 25000 रुपये के इनामी अपराधी सहित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार तथा कार से 08 पेटी (384 पव्वे) अवैध अंग्रेजी शराब मैकडावल नं0–1, 80 लीटर कच्ची शराबखाम तथा 09 पव्वे अवैध तरीके से तैयार सोल्जर मार्का मसालेदार शराब एवं अवैध शराब बनाने से सम्बन्धित रेपर, पव्वे, ढक्कन आदि सामग्री बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मिलक के नेतृत्व में आज दिनांक 08–11–2020 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा हाईवे से ग्राम मेहंदीनगर को जाने वाले रास्ते पर खड़ी एक डस्टर कार नं0–यू.पी. 16एएम 8181 से 08 पेटी (384 पव्वे) अवैध अंग्रेजी शराब मैकडावल नं0 1, 04 जरीकेन में भरी कुल 80 लीटर (20–20 लीटर) कच्ची शराबखाम, 09 पव्वे अवैध तरीके से तैयार सोल्जर मार्का मसालेदार शराब, 60 खाली पव्वे प्लास्टिक के, 600 ढक्कन पव्वों के, 18 रेपर सीट (1080 रेपर) सोल्जर मार्का देशी मशालेदार शराब एवं 01 बन्डल क्यूआर कोड बरामद करते हुए 25000 रुपये के इनामी अपराधी सहित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सुशील शर्मा उर्फ ननकू पण्डित दिनांक 13–06–2020 को थाना शहजादनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–119/20 धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि में पूर्व से वांछित चल रहा था जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा 25000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1– सुशील शर्मा उर्फ ननकू पण्डित पुत्र भगवान स्वरूप शर्मा निवासी मौहल्ला परा फरीदपुर थाना कोतवाली फरीदपुर जनपद बरेली।

2– विभू शर्मा पुत्र नीरज शर्मा निवासी मौहल्ला परा फरीदपुर थाना कोतवाली फरीदपुर जनपद बरेली।

बरामदगी–

- 08 पेटी (384 पव्वे) अवैध अंग्रेजी शराब मैकडावल नं0 1,
- 04 जरीकेन में भरी कुल 80 लीटर (20–20 लीटर) कच्ची शराबखाम,
- 09 पव्वे अवैध तरीके से तैयार सोल्जर मार्का मसालेदार शराब,
- 60 खाली पव्वे प्लास्टिक के,
- 600 ढक्कन पव्वों के,
- 18 रेपर सीट (1080 रेपर) सोल्जर मार्का देशी मशालेदार शराब,
- 01 बन्डल क्यूआर कोड बरामद।

पूछताछ–

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग आपस में मिलकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए पकडी गयी कार से हरियाणा से शराब की तस्करी कर बरेली व मुरादाबाद मण्डल में सप्लाई करते हैं तथा कच्ची शराबखाम से सोल्जर मार्का देशी मसालेदार शराब बनाकर लोगों को जगह–जगह बेच देते हैं।

कार्यवाही–

01– मु0अ0सं0–442/20 धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना मिलक, रामपुर।

02– मु0अ0सं0–119/2020 धारा धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471 भादवि थाना शहजादनगर, रामपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

01– प्रभारी निरीक्षक थाना मिलक श्री अनिल कुमार सिंह,
02– आबकारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह,
03– व0उ0नि0 श्री बृजेश कुमार सिंह,
04– उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह,
05– हे0का0 432 महेन्द्र सिंह,
06– हे0का0 आबाकारी विकुल चौधरी,
07– का0 821 विशेषपाल,
08– का0 आबकारी महेन्द्र प्रताप सिंह,
09– चालक का0 743 इरशाद।

––––फोटो––––